

न्यायालय सहायक कलक्टर, (फास्ट ट्रेक), बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी सुश्री छायासिंह (आई.ए.एस.)
अनवान

अन्तिम डिक्री

वादीगण
1 जगदीश कुमार पुत्र भैराराम 2
पदमी पत्नी प्रभुराम 3 प्रकाश 4
गोपाल बेनिवाल पिसरान प्रभुराम
वादी संख्या 03 व 04 नाबालिग
जरिये कुदरती वलिया माता वादी
संख्या 02 पदमी जाति जाट
निवासी हुडों की ढाणी तहसील
बाटाडू व जिला बाड़मेर।
दावा बाबत् 88 रा.का.अ.

बनाम

प्रतिवादी
1 भैराराम पुत्र मोटाराम जाति जाट निवासी हुडों
की ढाणी तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर 2
शाखा प्रबन्धक एस.वी.आई. बैंक शाखा कवास
जिला बाड़मेर।


मुकदमा नम्बर :- 12/2025

निर्णय दिनांक :- 10/07/25

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 की उपस्थिति में इस वाद में आज
तारीख 10/07/25 को सुश्री छायासिंह (आई.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम
डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादीगण का वाद माफिक जवाब दावा स्वीकार किया मौजा हुडों की ढाणी पटवार
हल्का क्षेत्र हुडों की ढाणी तहसील बाटाडू जिला बाड़मेर में खेत खसरा नम्बर 572/190
रकबा 7.6127 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 02 से 04 का
भी 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा खातेदारी में घोषित किया जाता
है। अतः तहसीलदार बाटाडू निर्णय की पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन
करे।

यह आज तारीख 10/07/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा
लगाकर दी गई।


(छायासिंह)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर,
(फास्ट ट्रेक), बाड़मेर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर।

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रूपया
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	रूपया
4 रूपये पर प्लीडर की फीस	रूपया
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	रूपया
6 कमिश्नर की फीस	रूपया
7 आदेशिका की तामिल	रूपया
जोड़	जोड़